5

सुगम्य पोर्टल एवं मोबाईल् एप

विधानसभा निर्वाचन 2018 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार दिव्यांगजनों के सुगम मतदान हेतु 'घर से घर तक' सुविधा प्रदान करने तथा मतदान करने में आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा सुगम्य वेब पोर्टल एवं मोबाईल एप तैयार किया गया है। सुगम्य एप में ऐसे सभी दिव्यांगजनों का पंजीयन किया जायेगा , जिन्हे मदद की आवश्यकता है।

उपरोक्त मोबाईल एप में पंजीयन करना अत्यंत सरल है, एप के माध्यम से दिव्यांगजन आवश्यक मदद जैसे वाहन सुविधा, सहायक, आवश्यक सामग्री आदि की सहायता हेतु पंजीयन कर सकते है। इस पोर्टल के माध्यम से पंजीयन होने पर दिव्यांगजनों को कतार में लगे बिना मतदान की सुविधा प्रदान की जावेगी । दिव्यांगजन स्वयंसेवी एवं वाहन चालक के रूप् में अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा स्वयंसेवी व्यक्ति का चयन कर सकते है। इसके साथ ही ऐसे स्वयंसेवी जो दिव्यांगजनों को मतदान में मदद करना चाहते है वे भी अपना पंजीयन कर सकते है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वयं भी एन.सी.सी./एन.एस.एस./नेहरू युवा केन्द्र/रेडक्रास/अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं का पंजीयन कर सकते है। सहायता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति अथवा संस्था का किसी भी राजनैतिक दल से न तो कोई संबंध् होगा एवं ना ही ऐसे व्यक्ति किसी भी राजनैतिक गतिविधि में सम्मिलित होंगे।

दिव्यांगजनों को वाहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु ऐसे आमजन जो जनसेवा हेतु अपनी भागीदारी दर्ज कराना चाहते है, वे अपने वाहन एवं स्वयं का पंजीयन करा सकते है। ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांगजनों को सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सामग्री प्रदान करना चाहते है, वह सामग्री का पंजीयन करा सकते है। सुगम्य पोर्टल् एवं मोबाईल एप में पंजीयन होने पर दिव्यांगजनों को निम्नानुसार सुविधाएं प्रदान की जायेगी ।

(1) दिव्यांगजन को बिना कतार में लगे मतदान की सुविधा होगी।

(2) दिव्यांगजन को वाहन मतदान केन्द्र के मुख्य द्वार तक ले जाने की सुविधा होगी।

(3) दिव्यांगजन की सहायता करने वाले सहायक एवं वाहन चालक का नाम यदि उस मतदान केन्द्र में है तो उन्हें भी उपरोक्तानुसार सुविधा प्रदान की जायेगी ।

(4) एक सहायक केवल एक दिव्यांगजन की ही सहायता कर सकेगा, किन्तु एक वाहन से एक से अधिक दिव्यांगजनों को मतदान केन्द्र तक पहुंचाया जा सकेगा।

(5) ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें वाहन अथवा सहायक की आवश्यकता नहीं है तथा स्वयं से मतदान करना चाहते है, उन्हें केवल पास प्राप्त करने की सुविधा होगी।

उपरोक्तानुसार सुगम्य पोर्टल एवं मोबाईल् एप दिव्यांगजनों को सुगमता पूर्वक मतदान करने में अत्यंत उपयोगी एवं सहायक होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 14/11/2018 को उक्त् मोबाईल एप/पोर्टल को लांच किया गया है तथा इस मोबाईल एप/पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। अब तक इस पोर्टल/एप पर दिव्यांग पंजीयन के अन्तर्गत् 2,87,367 दिव्यांगजनों ने अपना पंजीयन कराया है। स्वयंसेवी एक्टीविटी के अन्तर्गत 79,667 स्वयं सेवकों ने अपना पंजीयन इस एप/पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीयन कराया है। इसी प्रकार वाहन पंजीयन के अंतर्गत् 27,451 वाहनों का पंजीयन इस मोबाईल एप/पोर्टल पर किया जा चुका है। यह मोबाईल एप/पोर्टल मतदान दिवस तक दिव्यांगजनों के सुगम मतदान के लिए पंजीयन हेतु खुला रहेगा।

गभर्वती एवं धात्री महिलाएं भी कर सकती है सुगम्य पोर्टल/एप में अपना पंजीयन

विधानसभा निर्वाचन 2018 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार दिव्यांगजनों के सुगम मतदान हेतु 'घर से घर तक' सुविधा प्रदान करने तथा मतदान करने में आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा सुगम्य वेब पोर्टल एवं मोबाईल एप तैयार किया गया है। सुगम्य एप में अब गर्भवती एवं धात्री महिलाएं भी अपना पंजीयन करा सकती हैं।

उपरोक्त मोबाईल एप में पंजीयन करना अत्यंत सरल है, एप के माध्यम से दिव्यांगजन आवश्यक मदद जैसे वाहन सुविधा, सहायक, आवश्यक सामग्री आदि की सहायता हेतु पंजीयन कर सकते है। इस पोर्टल के माध्यम से पंजीयन होने पर दिव्यांगजनों को कतार में लगे बिना मतदान की सुविधा प्रदान की जावेगी । सुगम एवं समावेशी मतदान हेतु योजना का विस्तार करते हुए अब इस एप/पोर्टल में गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के पंजीयन की सुविधा भी प्रदान की गई है। सुगम्य पोर्टल् एवं मोबाईल एप में पंजीयन होने पर गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को "सुगम्य-पास" की सुविधा प्रदान की जायेगी, जिससे उन्हें बिना कतार में लगे मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी।